न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 33 / 2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. तरूण कुमार पुत्र धनराज जाति सिंधी निवासी टेलीफोन ऑफीस के सामने, महावीर नगर बाडमेर (मैसर्स तरूण प्रोवीजन स्टोर, रिको एरिया, बाडमेर का विक्रेता)
2. धनराज पुत्र गेहीमल जाति सिंधी निवासी टेलीफोन ऑफीस के सामने, महावीर नगर बाडमेर (मैसर्स तरूण प्रोवीजन स्टोर, रिको एरिया, बाडमेर का मालिक)
3. सुरेन्द्र पुत्र साधुराम निवासी कुतुबपुर, हिसार, हरियाणा (मैसर्स सपना बेवरेजेज इण्डस्ट्री, प्रेम नगर, दिपल रोड, हांसी का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश सांझीरा उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 19.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान **मैसर्स तरूण प्रोवीजन स्टोर, रिको एरिया, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **18.03.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **ready fruit drink With Real Mango (fruit rush brand) (Mango Juicy Drink)** जो कि 01–01 लीटर वाली 10 बोतले एक गता कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01–01 लीटर की 4 बोतल ready fruit drink With Real Mango (fruit rush brand) (Mango Juicy Drink)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1962** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **ready fruit drink With Real Mango (fruit rush brand) (Mango Juicy Drink)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाया

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **29.03.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **ready fruit drink With Real Mango (fruit rush brand) (Mango Juicy Drink)** का नमूना को **मिसब्राण्ड (Misbrand)** बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में यह निवेदन किया गया कि उत्पाद रसायनिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित पाया गया है तथा उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि अथवा मिलावट नहीं पाई गई है लेबल पर प्रयुक्त फलेवर की श्रेणी / प्रकार एवं उसका प्रतिशत अंकित न होना एक मात्र तकनीकी त्रुटि है, जिसके आधार पर उत्पाद को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। यह त्रुटि केवल लेबलिंग से संबंधित है और उसका उद्देश्य उपभोक्ता को भ्रमित करना, ठगना अथवा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित करना नहीं है। अतः प्रार्थी का यह परिवाद निस्तारण फरमाया जावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के
प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के
प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक
प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **29.03.2023** में उक्त नमूना **मिसब्राण्ड**
स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार **Misbrand (the percentage
quantity of concerntrated mango pulp and the class name/type of flavours used
in the product not given on the label** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस
पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी
किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी
की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया
गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में यह
निवेदन किया गया कि उत्पाद रसायनिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित पाया गया है तथा उसमें
किसी प्रकार की अशुद्धि अथवा मिलावट नहीं पाई गई है लेबल पर प्रयुक्त फलेवर की
श्रेणी / प्रकार एवं उसका प्रतिशत अंकित न होना एक मात्र तकनीकी त्रुटि है, जिसके आधार
पर उत्पाद को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। यह त्रुटि केवल लेबलिंग से संबंधित है और
उसका उद्देश्य उपभोक्ता को भ्रमित करना, ठगना अथवा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित
करना नहीं है। अतः प्रार्थी का यह परिवाद निस्तारण फरमाया जावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण
द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान
से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि
जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
...पर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 10,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते